

# आयालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

नं०:- 01/2022

तारीखरजु:- 22/2/2022

उनवान:- रामहरि बनाम जलसिंह कुमलेश

अपील विरुद्ध नामांतरण स० 494 दिनांक 04.02.2022

अन्तर्गत धारा 75

नांक फर्द अहकाम

अपीलांत की और से श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट ने अपील विरुद्ध नामांतरण स० 494 दिनांक 04.02.2022 अन्तर्गत धारा 75 के तहत प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के साथ प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रैस्पोंडेन्ट को तहसील क्षेत्र में जरिये तहसीलदार व तहसील क्षेत्र से बाहर के जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 23.03.2022 को पेश हो।

1083-91  
22/2/2022

(दुर्गा प्रसाद मीना)  
उप जिला कलक्टर  
टोडाभीम जिला करौली

23-3-22

वकील अपीलांत उपस्थित/वेस्मोकेट नं० 5, 6, 8, की मोटले की शर्मा इलाशम अर्थात् स० ने वकालतनामा पेश कीया जो प्राप्ति पत्रावली रहे। शेष के नोटिस नडम रामीव प्राप्त हुये है। पुनः नोटिस पेश की जाये तबपी दिनांक 21.4.22 को पेश हो।

21/4/22 वाली वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित पेशावली गतानुसार दिनांक 22/5/22 के पेश हो।

27/2

करौली सिटिंग में पधारें हें।  
दिनांक 4.2.22



7/2

करौली सिटिंग में पधारें हें।  
दिनांक 2.8.22

4.4.24

कमी अर्कील/अकील उमय पक्ष उपस्थित  
 पीठपसीन अधिकाारी...  
 पत्रावली गतानुसार दिनांक...  
 को पेश हो।

15/24

पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त उपस्थित।  
 वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक  
 16.5.24 को पेश हो।



16.5.24

पत्रावली पेश हुई। अपीलान्त युव अपीलान्त  
 वकील कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ। वार-वा  
 भाषाज डिवार्ड गई। इनके उपशान्त की  
 भाषाज वकील कोर्ट उपस्थित नहीं हुआ  
 पत्रावली फेशल अमुमाट ट्रेफ नरका से कम  
 फट डाखिल इफल हो।



जायकद भाग... दिनांक...  
 ...  
 दिनांक...